दैनिक जागरण
हल्द्वानी, 4 जुलाई, 2023 | 5

कचरा बीनने वाले सरकारी योजनाओं से होंगे लाभान्वित

जासं, नैनीताल : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कचरा बीनने वालों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने का संकल्प लिया है।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 39 (क) समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता के प्रविधानों से संबंधित है। इसके तहत समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इसी संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से वरिष्ठ न्यायमूर्ति व प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी के दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से प्रत्येक जनपद में इस अनूठी पहल की शुरुआत की जा रही है। पूरे प्रदेश में कचरा बीनने वालों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।

हिन्दुस्तान
www.livehindusta
हल्द्वानी, मंगलवार, 4 जुलाई 2023 05

कमजोर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ेंगे

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इसके लिए किया निर्देशित
- ऐसे व्यक्तियों का सर्वे कर आख्या एक माह में उपलब्ध करानी होगी

नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक अनूठी पहल की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत समाज के शोषित व कमजोर वर्ग समेत अन्य का सर्वे कर शासकीय कल्याणकारी योजनाओं, मौलिक व कानूनी अधिकारों की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित किया है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि संविधान में अनुच्छेद 39 (क) के तहत गरीब व कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसी संकल्प को पूरा करने के उदेश्य से हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर पूरे प्रदेश व प्रत्येक जिले में एक अनूठी पहल की शुरुआत की जा रही है। जिसके तहत कूड़ा बीनने वाले व शोषित व कमजोर वर्ग जो शासकीय कल्याणकारी योजनाओं व अपने मौलिक तथा कानूनी अधिकारों से अज्ञान रहते हैं। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है, कि वह अपने जिले में ऐसे व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर आख्या एक माह के भीतर उपलब्ध कराएं। सर्वेक्षण के लिए मापदण्ड तय किए हैं।

अमर उजाला
नैनीताल | मंगलवार • 04.07.2023 03
amarujala.com/nainital

कूड़ा कचरा बीनने वालों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ेगा प्राधिकरण

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कूड़ा-कचरा बीनने वाले व्यक्तियों का सर्वे कराकर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही मौलिक व कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए समाज की मुख्यधारा से भी जोड़ा जाएगा। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 39(क) समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिले में कूड़ा कचरा बीनने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराकर विस्तृत रिपोर्ट एक महीने के भीतर उपलब्ध कराएं। संवाद

आज
www.ajhindidaily.com
हल्द्वानी, 4 जुलाई, 2023 2

कचरा/कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों का होगा सर्वेक्षण: गुफरान

आज समाचार सेवा

नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39(क) समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से सम्बन्धित हैं, जिसके तहत् समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदत्त कराना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने से वंचित न किया जाय।

समाज की मुख्य धारा से जोड़कर किया जाएगा लाभान्वित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल

गुफ़रान ने कहा कि इसी संकल्प को पूरा करने के मकदस से हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति हाईकोर्ट तथा कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुपालन में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक जनपद में एक अनूठी पहल की शुरूआत करने जा रहा है। जिसके तहत् सम्पूर्ण प्रदेश में कचरा/कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों जो कि समाज के सबसे शोषित एवं कमजोर वर्ग से आते हैं तथा शासकीय कल्याणकारी योजनाओं एवं अपने मौलिक तथा कानूनी अधिकारों से अज्ञान रहते हैं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर लाभान्वित करना है।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वह अपने जनपद में कचरा/कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराकर विस्तृत आख्या एक माह के भीतर उपलब्ध करायें ताकि तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सर्वेक्षण हेतु कई मापदंड निर्धारित किये गये हैं। यथा- ऐसे वर्ग की कुल जनसंख्या, साक्षरता दर, मूल निवास स्थान, स्वास्थ्य एवं आवास की स्थिति तथा जल एवं बिजली संयोजन, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र की उपलब्धता, शहरी स्थानीय निकायों अथवा अन्य निकायों या संस्थानों में पंजीकरण, शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित की सूचना आदि।

नैनीताल, मंगलवार 4 जुलाई, 2023

उत्तर उजाला 10

मुख्यधारा से जोड़े जाएंगे कूड़ा बीनने वाले

विधिक प्राधिकरण पूरे राज्य में करेगा सर्वे

नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए समाज के शोषित एवं कमजोर वर्ग कूड़ा बीनने वालों का सर्वेक्षण कराकर, शासकीय कल्याणकारी योजनाओं, मौलिक तथा कानूनी अधिकारों की मुख्यधारा से जोड़कर लाभान्वित करने का संकल्प लिया है। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों के तहत समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। इसी संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में सम्पूर्ण राज्य में रज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक जनपद में एक अनूठी पहल की शुरुआत की जाएगी। जिसके तहत प्रदेश में कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर लाभान्वित करना है। प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वह अपने जनपद में कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर विस्तृत आख्या एक माह के भीतर उपलब्ध करायें।